उत्तर प्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास अनुभाग-3
संख्या-32मु0मं0/60-3-12-13 (39)/10
लखनऊः दिनांकः 15 जनवरी,2013

## अधिसूचना

राज्य स्तर पर महिलाओं के सशक्तीकरण हेतु सभी तरह के कार्यो एवं योजनाओं का अनुश्रवण तथा कार्यान्वयन किया जाना है जिसके तहत लैंगिक निर्णया कार्यक्रम, स्वास्थ्य मिशन सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम आदि के लिए एकीकृत संस्था के रुप में कार्य करने हेतु एक मिशन की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु राज्य मिशन प्राधिकरण का गठन निम्न प्रकार किया जाता है:-

| | | |
|---|---|---|
| (1) | मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश | अध्यक्ष |
| (2) | मंत्री, महिला कल्याण विभाग | कार्यकारी अध्यक्ष |
| (3) | मंत्री, वित्त विभाग। | सदस्य |
| (4) | मंत्री, राजस्व विभाग। | सदस्य |
| (5) | मंत्री, आवास विभाग। | सदस्य |
| (6) | मंत्री, ग्राम्य विकास विभाग। | सदस्य |
| (7) | मंत्री, पंचायती राज विभाग। | सदस्य |
| (8) | मंत्री, आवास विभाग। | सदस्य |
| (9) | मंत्री, कृषि विभाग। | सदस्य |
| (10) | मंत्री, बेसिक शिक्षा विभाग। | सदस्य |
| (11) | मंत्री, माध्यमिक शिक्षा विभाग। | सदस्य |
| (12) | मंत्री, प्राविधिक शिक्षा विभाग। | सदस्य |
| (13) | मंत्री, सहकारिता विभाग। | सदस्य |
| (14) | मंत्री, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग। | सदस्य |
| (15) | मंत्री, लघु उद्योग विभाग। | सदस्य |
| (16) | मंत्री, न्याय विभाग। | सदस्य |
| (17) | मंत्री, पर्यावरण विभाग। | सदस्य |
| (18) | मंत्री, वन विभाग। | सदस्य |
| (19) | मंत्री, श्रम विभाग। | सदस्य |
| (20) | मंत्री, समाज कल्याण विभाग | सदस्य |
| (21) | उपाध्यक्ष,राज्य योजना आयोग | सदस्य |
| (22) | अध्यक्ष राज्य महिला आयोग | सदस्य |
| (23) | प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग,उ0प्र0शासन | सदस्य संयोजक |
| (24) | सामाजिक कार्यकर्ता (मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा मनोनीत) | सदस्य |

2- केन्द्र एवं राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के बीच संकेन्द्रण सुनिश्चित करने के लिए मानीटरिंग करने के अतिरिक्त, पंचायती राज संस्थाओं के सहयोग से महिला लाभार्थियों को लाभ प्रदान करने की व्यावहारिकता की जॉच करने के लिए निदेशालय और भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के माध्यम से यह मिशन प्रायोगिक परियोजनाएं भी चलाएगा। ऐसी प्रायोगिक परियोजनाओं की रुपरेखा तैयार करते समय पंचायती राज विभाग से भी परामर्श किया जाएगा।

3– राज्य मिशन प्राधिकरण को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए राज्य में राज्य महिला संसाधन केन्द्र स्थापित किया जायेगा।

4– राज्य स्तर की संरचनाओं के अन्तर्गत महिला संसाधन केन्द्र के कार्यकलापों के लिए मानकों के अनुसार आवश्यक निधियाँ महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जायेगीं।

5– राज्य स्तरीय मिशन, 2014 तक कार्य करेगा तथा इसके 2 (दो) वर्षो के कार्य –कलाप के मूल्यांकन के आधार पर आगामी 3 (तीन) वर्षो तक विस्तारित किया जायेगा।

सदाकान्त
प्रमुख सचिव।

संख्या–32मु0म0 (1)/60–3–12,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मा0 सदस्यगण।
2. विधायी विभाग।
3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
4. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश।
6. विधायी विभाग।
6. निदेशक, महिला कल्याण, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी/प्रोबेशन अधिकारी,उत्तर प्रदेश।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
14/1/13
(मिश्री लाल पासवान)
विशेष सचिव।